भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **5471**

दिनांक 25 जुलाई , 2019 / 3 श्रावण, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

**विमान के उतरने के पश्चात् होने वाली दुर्घटनाएं**

**5471. श्री असादुद्दीन ओवैसी:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के दिनों में जहाज के उतरने के पश्चात् हुई दुर्घटनाओं में वृद्धि के कारण विमान यात्री बाल-बाल बचे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डीजीसीए ने बारह पायलटों के विमान उड़ाने पर रोक लगा दी है और कई अन्य पायलटों को 'कारण-बताओ' नोटिस जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो विगत एक वर्ष के दौरान विभिन्न कारणों से कितने पायलटों के विमान उड़ाने पर रोक लगाई गई है;

(घ) उक्त मामलों में से कितने मामले तकनीकी खामी या पायलट की गलती के कारण हुए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) (श्री हरदीप सिंह पुरी )**

(क) : अभी हाल ही में, लैंडिंग के पश्चात छः घटनाएँ घटित हुई हैं। इन घटनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) 30.06.2019 को, भोपाल से सूरत विमान प्रचालन के समय मैसर्स स्पाइसजेट क्यू400 विमान वीटी-एसयूएम का, सूरत में लैंडिंग के दौरान विमान के रनवे से बाहर निकल जाने की गंभीर घटना हुई।

(ii) 30.06.2019 को, दुबई से मंगलुरु विमान प्रचालन के समय मैसर्स एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान वीटी-एवाईए में, मंगलुरु का लैंडिंग के दौरान विमान के रनवे से बाहर निकल जाने की गंभीर घटना हुई।

(iii) 01.07.2019 को जयपुर से मुंबई विमान प्रचालन के समय मैसर्स स्पाइस जेट बी737 विमान वीटी-एसवाईके का, मुंबई के रनवे 27 पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटना हुई।

(iv) 01.07.2019 को दम्मम से कालीकट विमान प्रचालन के समय मैसर्स एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान वीटी-एएक्सएम का लैंडिंग के दौरान घटना हुई।

(v) 02.07.2019 को कोयंबटूर से मुंबई विमान प्रचालन के समय मैसर्स स्पाइस जेट बी737 विमान वीटी-एसएलपी का मुंबई के रनवे 14 पर लैंडिंग के दौरान विमान के रनवे से बाहर निकल जाने की घटना हुई।

(vi) 02.07.2019 को पुणे से कोलकाता विमान प्रचालन के समय मैसर्स स्पाइसजेट बी737-800 विमान वीटी-एसवाईआई के लैंडिंग के दौरान रनवे के किनारे लगी हुई लाइटों (edge lights) को क्षति पहुँचाने की घटना हुई।

(ख) : नागर विमानन महानिदेशालय ने हाल ही की घटनाओं में शामिल 12 पायलटों के उड़ान भरने पर रोक लगा

दी है जिनमें टेल स्ट्राइक और रनवे से विमान के बाहर निकल जाने की घटनाएँ शामिल हैं और इन पायलटों को कारण बताओ (show cause) नोटिस भी जारी किया गया है।

(ग) और (घ) : पिछले एक वर्ष के दौरान कुल 222 पायलट निलंबित/ग्राऊंडेड किए जा चुके हैं। उनका विवरण निम्नानुसार है :

उल्लंघन ..... ग्राऊंडेड पायलटों की संख्या

श्वास परीक्षक उल्लंघन..... 78

घटनाओं में शामिल ..... 144

(ङ) : यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अनुलग्नक क पर संलग्न हैं।

*****

**विमान संरक्षा के लिए किए गए उपाय जिनमें निम्नलिखित शामिल है:**

- विमान दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की जांच के परिणामस्वरूप की जाने वाली सिफारिशों का कार्यान्वयन:

  विभिन्न विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच के परिणामस्वरूप की जाने वाली सुरक्षा सिफारिशों को संबंधित एजेंसियों के साथ लागू करने के लिए सहायता किया जाता है ताकि समान दुर्घटनाओं / घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

- विमान सुरक्षा परिपत्र / नागर विमाननअपेक्षाएँ जारी करना:

  दुर्घटनाओं / घटनाओं का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है और इन विश्लेषणों के आधार पर दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रचालकों की सूचना हेतुविमान संरक्षा परिपत्र जारी किए जाते हैं। सुरक्षा संबंधी सावधानियाँ भी विमान परिपत्र के माध्यम से परिचालित की जाती हैं। जब भी आवश्यकता महसूस की जाती है नागर विमानन अपेक्षाएँ जारी करके परिवर्तन किए जाते हैं।

- उड़ान निरीक्षकों द्वारा निगरानी:

  डीजीसीए के फ्लाइट इंस्पेक्टर ने विभिन्न ऑपरेटरों के पायलटों की आवधिक दक्षता और मानकीकरण जांच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया है।.

- प्रचालकों का नियामक लेखा परीक्षा:

  डीजीसीए की नियामक ऑडिट टीमें समय-समय पर प्रचालकों और रखरखाव संगठनों की विनियामक लेखापरीक्षा करती हैं। नियामक लेखा परीक्षा में बताई गई कमियों को आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए तुरंत ऑपरेटरों के ध्यान में लाया जाता है। डीजीसीए ने गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा के लिए प्रचालकों को और अधिक जिम्मेदार बनाने के अपने प्रयास में, इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेटरों को डीजीसीए नियामक ऑडिट के अलावा अपना आंतरिक ऑडिट भी करना चाहिए।.

- आवधिक स्पॉट जाँच:

  निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन को सुनिश्चित करने के लिए डीजीसीए अधिकारियों द्वारा प्रचालकों के प्रचालन और रखरखाव गतिविधियों पर आवधिक स्थान की जाँच तेज कर दी गई है।

- <u>खराब मौसम की स्थिति में विशेष प्रचालनिक सावधानियां::</u>

  प्रचालकों और हवाईअड्डे के अधिकारियों को मानसून और कोहरे की अवधि के दौरान विशिष्ट कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। मानसून की स्थिति में अपनी दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइन पायलटों को विशेष जांच के अधीन किया जाता है।.

- <u>बर्ड स्ट्राइक हादसों की रोकथाम.</u>

  बर्ड स्ट्राइक खतरे को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए हवाई अड्डे के अधिकारियों और स्थानीय नागरिक अधिकारियों के सहयोग से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

- <u>चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई:</u>

  जब भी यह पाया जाता है कि निर्धारित मानदंडों का घोर उल्लंघन या सुरक्षा के साथ समझौता हुआ है, तो चूककर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।